



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11122020-223655
CG-DL-E-11122020-223655

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3954]
No. 3954]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 11, 2020/अग्रहायण 20, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 11, 2020/AGRAHAYANA 20, 1942

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 09 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4501 (अ).—दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 की 49) की धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद् द्वारा किसी व्यक्ति में विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं की सीमा का आकलन करने के उद्देश्य से का.आ. 76(अ), दिनांक 04 जनवरी 2018 के जरिए अधिसूचित दिशा-निर्देशों में संशोधन करती है, यथा :

2. उपर्युक्त अधिसूचना के अनुबंध II में दिए गए उक्त दिशानिर्देशों के- शीर्षक "IV बौद्धिक दिव्यांगता" के अंतर्गत, - विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता (एसएलडी) से संबंधित पैरा 22 में, -

क) उप-पैराग्राफ 22.3 में, 'बाल (रोग) चिकित्सक' शब्द के बाद, 'अथवा मनोचिकित्सक' शब्द अंतः स्थापित किए जाएंगे।

ख) उप-पैराग्राफ 22.4 प्रतिस्थापित किया जाएगा यथा : -

"राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं स्नायु विज्ञान संस्थान (एनआईएमएचएएनएस) बैटरी एसएलडी के लिए नैदानिक जांच हेतु प्रयोग में लाई जाएंगी। जो व्यक्ति एनआईएमएचएएनएस बैटरी पर किए जाने वाले परीक्षण में सकारात्मक पाया जाता है, उस व्यक्ति को बेंचमार्क दिव्यांगता अर्थात 40% से अधिक की दिव्यांगता वाला व्यक्ति माना जाएगा।"

ग) पैराग्राफ 22.5 में, मद (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा : -

"(ख) बाल (रोग) चिकित्सक अथवा बाल चिकित्सा न्यूरोलॉजिस्ट अथवा मनोचिकित्सक (जहां जो उपलब्ध हो)"

[फा. सं. 38-01/2020-डीडी-III]

डॉ. प्रबोध सेठ, संयुक्त सचिव

नोट :

भारत के राजपत्र, असाधारण, खंड- II, धारा 3, उप-खंड (ii) में एस.ओ. संख्या: 76 (अ) दिनांक 04 जनवरी, 2018 के जरिए मूल दिशानिर्देश प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan))

NOTIFICATION

New Delhi, the 09th December, 2020

S.O. 4501 (E).—In exercise of the powers conferred by section 56 of the Rights to Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the Central Government hereby amends the guidelines notified for the purpose of assessing the extent of specified disabilities in a person vide number S.O. 76 (E), dated the 04th January, 2018, namely:

2. In the said notification, in Annexure II of the Said guidelines, - under the heading “IV Intellectual Disability”, - in paragraph 22 relating to Specific Learning Disability, -

a) in sub-paragraph 22.3, after the word ‘paediatrician’, the words ‘or psychiatrist’ shall be inserted.

b) sub-paragraph 22.4, shall be substituted, namely:-

“National Institute for Mental Health and Neurosciences (NIMHANS) Battery shall be applied for diagnostic test for SLD. Any person having tested positive on NIMHANS Battery shall be considered as a person with benchmark disability i.e. disability of more than 40%.”

c) In paragraph 22.5, for item (b), the following item shall be substituted, namely:-

“(b) Paediatrician or Paediatric Neurologist or Psychiatrist (where available)”

[F. No. 38-01/2020-DD-III]

Dr. PRABODH SETH, Jt. Secy.

Note : The Principal guidelines were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 76 (E), dated the 04th January, 2018.